राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 2 मई • 2019
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

कपट से धर्म नष्ट हो जाता है, क्रोध से तप नष्ट हो जाता है और प्रमाद करने से पढ़ा-सुना नष्ट हो जाता है -अज्ञात

राजनीति अब 'ताकत' का नाम है

विश्लेषण

प्रमोद जोशी

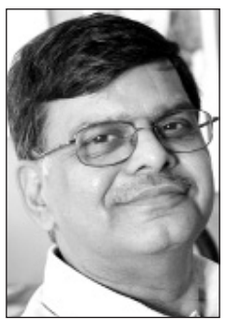

समय के साथ राजनीति में आ रहे बदलावों पर क्या आपने ध्यान दिया है? कुछ साल पहले सायास और अनायास मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका लगा, जो ऊंचे खानदान से वास्ता रखते हैं और राजनीति में आना चाहते हैं। उन्होंने जो रास्ता चुना, वह जनता के बीच जाने का नहीं है। उनका रास्ता पार्टी-प्रवक्ता के रूप में उभरने का है। उन्हें मेरी मदद की दो तरह से दरकार थी। एक, राजनीतिक-सामाजिक मसलों की पृष्ठभूमि को समझना और दूसरे मुहावरेदार हिंदी बोलने-बरतने में मदद करना। सिनेमा के बाद शायद टीवी दूसरा ऐसा मुकाम है, जहां हिंदी की बदौलत सफलता का दरवाजा खुलता है।

पिछले एक दशक में राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बनने का काम बड़े कारोबार के रूप में विकसित हुआ है। पार्टियों के भीतर इस काम के लिए कतारें हैं। मेरे विस्मय की बात सिर्फ इतनी थी कि मेरा जिनसे भी संपर्क हुआ, उन्हें अपने रसूख पर पूरा यकीन था कि वे प्रवक्ता बन जाएंगे, बस उन्हें होमवर्क करना था। वे बने भी। इससे आप राजनीतिक दलों की संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। संबित महापात्रा का उदाहरण आपके सामने है। कुछ साल पहले तक आपने इनका नाम भी नहीं सुना था। पात्रा की धुआंधार वाकपटुता के जवाब में 2015 में कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ताओं और 'मीडिया पैनलिस्ट' की लंबी सूची जारी की। इसमें भारी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बाल-बच्चे शामिल थे। पार्टी ने 17 प्रवक्ता और 4 सीनियर प्रवक्ताओं के अलावा 31 लोगों को मीडिया और टीवी चैनलों के पैनल में कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला को दी और उन्हें जन-सम्पर्क विभाग का प्रमुख बनाया गया। जो भी नये प्रवक्ता आ रहे हैं, उनके आर्थिक वर्ग पर गौर करें। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ समय पहले ही अपना काम छोड़कर राजनीति के मैदान में आई थीं। कांग्रेस से अनबन होने के बाद उन्हें शिवसेना ने फौरन अपने साथ जोड़ा।

पार्टियों को हिंदी और अंग्रेजी में धुआंधार तेजी से आक्रामक शैली में बातें रखने वालों की जरूरत है। टेलीविजन ने एक स्पेस तैयार किया है। पिछले कुछ महीनों के भीतर कितने नये प्रवक्ता सामने आए हैं? ज्यादातर युवा और 'वैल कनेक्टेड' शहरी हैं। हमारी राजनीति पर गरीबी और समाजवाद का पानी चढ़ा है, पर पकड़ किसी और तबके की है। अब प्रत्याशी टिकट पाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने लगे हैं। 2013 में समाचार एजेंसियों की खबर थी कि राज्य सभा के एक सदस्य ने कहा था, '...मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि राज्य सभा की सीट

100 करोड़ रुपये में मिलती है।' बाद में उन्होंने इस बात को घुमा दिया, पर क्या यह बात पूरी तरह गलत थी? लोक सभा चुनाव के अभी चार दौर पूरे हुए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अब तक के 5381 नामांकनों के साथ दाखिल किए गए हलफनामों के आधार पर गणना की है कि इनमें से 1523 यानी 28 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति हैं। चुनाव पूरा होने पर पता लगेगा कि कुल कितने करोड़पति प्रत्याशी मैदान में उतरे। फिर जीतने वाले करोड़पतियों की संख्या सामने आएगी। उसके पांच साल बाद उनकी समृद्धि के संकेत मिलेंगे।

पिछले लोक सभा चुनाव में चुने गए 543 सदस्यों में से 442 करोड़पति नेता थे। इनमें सबसे अमीर नेता के पास 683 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति थी। बात नेताओं की अमीरी की नहीं है, बल्कि बात यह है कि धीरे-धीरे राजनीति पर अमीरों और कुछ चुनिंदा घरानों का कब्जा होता जा रहा है। वंशवाद नहीं, यह शुद्ध अमीरवाद है। राजनीतिक पाखंड आज के नहीं हैं, बल्कि इनकी पुरानी परम्परा है। स्वतंत्रता से पहले की। उसका विस्तार हुआ है और बेशर्मी को वैधता मिली है। यशपाल के 'झूठा-सच' और नागार्जुन के उपन्यासों में ऐसे तमाम पात्र और परिस्थितियां मिलेंगी, जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन के पाखंड पर भी रोशनी पड़ती है। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिली, पद्म पुरस्कार भी। पर उनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे, जो वास्तव में संजीदगी के साथ आंदोलन से जुड़े थे। पर राजनीति क्रमशः एलीटिस्ट होती गई है और नारे जनोन्मुखी। यह उसका पाखंड है। सन 1952 में बनी पहली संसद के अनेक सदस्य साइकिलों पर चलते थे। केवल सांसद ही नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी साइकिल से चलते थे।

साठ के दशक तक राज्य सरकारों के मंत्री तक रिक्शों पर बैठे नजर आ जाते थे। धीरे-धीरे इस साइकिल ने प्रतीक रूप धारण किया। नब्बे के दशक में जब मुलायम सिंह ने साइकिल का चुनाव चिह्न तय किया, तो उसके पीछे प्रतीकात्मकता थी। सन 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल रैलियों के मार्फत ही जनता से संवाद किया था। बताते हैं कि उनकी साइकिल मर्सिडीजब्रांड थी। यानी कीमत लाखों रुपये थी। इतने बड़े राजनेता से हमें कृत्रिम सादगी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अलबत्ता कुछ दशक पहले तक इस राजनीति में कुछ गरीबों को भी जगह मिल जाती थी, अब वह जगह कम होती जा रही है। सत्तर के उत्तरार्ध में जब राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके और उनके परिवार की सादगी के बारे सुनकर अच्छा लगता था। अस्सी और नब्बे के दशक ने राजनेताओं की एक नई पीढ़ी को जगह दी। क्या वह रिक्रूटमेंट अब भी जारी है? ऐसा होता, तो नये नेता इन्हीं परिवारों से क्यों आते? मुलायम सिंह, लालू यादव, मायावती, ममता बनर्जी के संघर्षों से इनकार नहीं किया जा सकता, पर प्रगति की लहर इन परिवारों पर आकर रुक क्यों गई? हाल में एक वैबसाइट ने 20 राज्यों के 34 प्रमुख राजनीतिक राजवंशों पर एक विश्लेषण पेश किया, जहां एक परिवार के कम-से-कम तीन सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं।

जब कोई व्यक्ति किसी कारोबार में उतरता है, तो उसकी संतानें स्वाभाविक रूप से उसी कारोबार को अपनाती हैं। इस लिहाज से वंशवाद और परिवारवाद को कोसना गलत है। राजनीति अब पावर है। ताकत का एक नाम है। इसकी महत्ता को देखते हुए सम्पन्न परिवारों के लोग राजनीति की तरफ आ रहे हैं। इसमें प्रवेश के तीन-चार रास्ते हैं। स्वाभाविक रूप से पहला है राजनीतिक खानदान। इसके बाद बिजनेस खानदान। राज्य सभा चुनाव में आप उनकी ताकत देखते हैं। फिर हैं फिल्मी कलाकार और स्टार-खिलाड़ी। ये खूबसूरत मुखौटे हैं। और हैं अपराधी-माफिया परिवार। यह वह तबका है, जिसके पास चुनाव जिताने की ताकत है। उनकी जरूरत सबको है।

जब कोई व्यक्ति किसी कारोबार में उतरता है, तो उसकी संतानें स्वाभाविक रूप से उसी कारोबार को अपनाती हैं। इस लिहाज से वंशवाद और परिवारवाद को कोसना गलत है। राजनीति अब पावर है। ताकत का एक नाम है। इसकी महत्ता को देखते हुए सम्पन्न परिवारों के लोग राजनीति की तरफ आ रहे हैं। इसमें प्रवेश के तीन-चार रास्ते हैं। स्वाभाविक रूप से पहला है राजनीतिक खानदान। इसके बाद बिजनेस खानदान

परमार्थ

श्रीराम शर्मा आचार्य

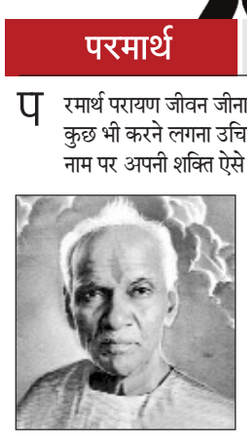

परमार्थ परायण जीवन जीना है तो उनके नाम पर कुछ भी करने लगना उचित नहीं। परमार्थ के नाम पर अपनी शक्ति ऐसे कार्यों में लगानी चाहिए, जिनमें उसकी सर्वाधिक सार्थकता हो। स्वयं अपने अंदर से लेकर बाहर समाज में सत्प्रवृत्तियां पैदा करना, बढ़ाना इस दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त है। संसार में जितना भी कुछ सत्कार्य बन पड़ रहा है उस सबके मूल में सत्प्रवृत्तियां ही काम करती हैं। समय पाकर बीज जिस प्रकार अंकुरित होता और फलता-फूलता है उसी प्रकार सत्प्रवृत्तियां भी अगणित प्रकार के पुण्य परमार्थों के रूप में विकसित एवं परिलक्षित होती हैं। जिस शुष्क हृदय में सद्भावनाओं, सद्विचारों के लिए कोई स्थान न हो, उसके द्वारा जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य बन पड़े यह लगभग असंभव ही मानना चाहिए। जिन लोगों ने कोई सत्कर्म, आदर्श का अनुसरण किया है, उनमें से प्रत्येक को उससे पूर्व अपनी पाशविक वृत्तियों पर नियंत्रण कर सकने योग्य सद्विचारों का लाभ किसी न किसी प्रकार मिल चुका होता है। कुकर्मी और दुर्बुद्धि मनुष्यों के इस घृणित उपस्थिति में पड़े रहने की जिम्मेदारी उनकी उस भूल पर है, जिसके कारण कि वे सद्विचारों की आवश्यकता और उपयोगिता को समझने से वंचित रहे, जीवन के इस सर्वोपरि लाभ की उपेक्षा करते रहे, उसे व्यर्थ मानकर उससे बचते और कतराते रहे। मूलतः मनुष्य एक प्रकार का काला कुरूप लोहा मात्र है। सद्विचारों का पारस छूकर ही वह सोना बनता है। इस संसार में अनेकों परमार्थ और उपकार के कार्य हैं। ये सब आवरण मात्र हैं उनकी आत्मा में, सद्भावनायें सन्निहित हैं। अनेकों संस्थाएं आज परमार्थ का आडंबर ओढ़कर सिंह की खाल ओढ़कर फिरने वाले श्रृंगार का उपहासास्पद उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उनसे लाभ किसी का कुछ नहीं होता और परमार्थ को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगने लगते हैं। बुराइयां आज संसार में इसलिए बढ़ और फलफूल रही हैं कि उनका अपने आचरण द्वारा प्रचार करने वाले पक्के प्रचारक, पूरी तरह मन, कर्म, वचन से बुराई करने और फैलाने वाले लोग बहुसंख्या में मौजूद है। सत्प्रवृत्तियों को मनुष्य के हृदय में उतार देने से बढ़कर और कोई महत्त्वपूर्ण कार्य इस संसार में नहीं हो सकता।

मोदी को क्लीनचिट

चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निर्दोष करार दिए जाने के बाद विवाद खत्म हो जाना चाहिए। किंतु हमारे देश का चरित्र ऐसा हो गया है कि अपने मन के अनुसार फैसला आए तो सही नहीं आए तो फिर फैसला देने वालों को घेरा जाता है। यही चुनाव आयोग के साथ हो रहा है। वैसे भी मोदी का मामला है तो विपक्ष एकदम शांत हो नहीं सकता। चुनाव आयोग यदि दलों और नेताओं की आलोचनाओं की परवाह करने लगे तो फिर वह नीर-क्षीर-विवेक से कोई फैसला कर ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री पर 1 अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्धा में दिए गए भाषण को लेकर आरोप था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन कर सांप्रदायिकता फैलाया है। आयोग कह रहा है कि उसने पूरा भाषण मंगाया और उसको सुनने के बाद उल्लंघन जैसी कोई चीज सामने नहीं आई। प्रश्न है कि चुनाव आयोग की बात मानी जाए या आरोप लगाने वाले की? उस रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस को कैसे माफ किया जा सकता है? जब आप लोग हिन्दू आतंकवाद की बात सुनते हैं तो क्या आप लोग दुखी महसूस नहीं करते। एक समुदाय जो शांति, भाईचारा और सद्भाव के लिए जाना जाता है, उसे आतंकवाद से कैसे जोड़ा जा सकता है? हजारों साल के इतिहास में एक भी ऐसा वाकया नहीं है, जिसमें हिन्दू आतंकवाद का जिक्र हो, यहां तक कि ब्रिटिश भी यह नहीं कह सके। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। कोई भी गहराई से देखेगा तो इसमें सांप्रदायिकता फैलाने का अंश नहीं दिखेगा। यह यूपीए सरकार की आतंकवाद विरोधी नीति की आलोचना है, जिसके तहत कई हमलों के लिए हिन्दू संगठनों के नेताओं-कार्यकर्ताओं को जिम्मेवार ठहराया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि मोदी का भाषण योगी आदित्यनाथ, मायावती, मेनका गांधी या सिद्धू के भाषणों के समतुल्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा मानना है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के दूरगामी भविष्य का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की आलोचना करने या उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। राजनीतिक दल आयोग से शिकायत करें, लेकिन एक बार आयोग फैसला दे दे तो वह हमारे अनुकूल है या नहीं इस पर विचार करने की जगह उसे स्वीकार कर लिया जाए। किंतु राजनीति के वर्तमान चरित्र को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि हमारे राजनीतिक दल इतनी जिम्मेवारी का परिचय देंगे।

नासमझ बयान

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' बयान देने पर माफी मांगनी ही पड़ेगी। शीर्ष अदालत राहुल गांधी के पहले के हलफनामे से संतुष्ट नहीं हुआ और उसे नकार दिया। अब अदालत में उन्हें लिखित माफीनामा पेश करना होगा। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं। वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं; लेकिन 'चौकीदार चोर है' प्रकरण के कारण उनके व्यक्तित्व का कमजोर पक्ष उजागर हुआ है। देश के इतने बड़े और पढ़े-लिखे शिक्षित नेता से यह कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपने हलफनामे में यह कहें कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठीक से समझ नहीं पाया और चुनाव के जोश में यह बयान दे दिया। अगर उन्होंने इस तरह का बयान दे भी दिया तो उन्हें अपने इस बयान पर टिके रहने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए था। दरअसल, राहुल के पास दो ही चुनावी मुद्दे हैं। एक राफेल विमान सौदा में कथित भ्रष्टाचार और दूसरे न्याय योजना। बेहतर होता कि वह कोई नया मुद्दा तलाशते, क्योंकि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। बावजूद इसके राहुल गांधी अपने चुनावी सभाओं में बेहिचक चौकीदार चोर का नारा लगा रहे हैं। अगर वास्तव में उनके पास इस मामले से संबंधित कोई पुख्ता प्रमाण है तो उसे देश के सामने रखना चाहिए। बहलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। गौरतलब है कि भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल के बयान को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। आखिर बिना किसी पुख्ता प्रमाण के किसी शख्स को चोर कैसे कहा जा सकता है? यह समझ से परे है कि भाजपा की आखिर कौन सी कमजोरी है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे नारे 'चौकीदार चोर है' के मामले को अदालत में लेकर नहीं जा रही है। यह तो सीधे अवमानना का मामला बनता है। भाजपा मानहानि का दावा भी कर सकती है। इन दिनों चुनाव प्रचार चरम पर है और राहुल का माफी मांगना उनके राजनीतिक कॅरियर को प्रभावित कर सकता है। अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो संभव है यह मसला फिर से खुले ऐसे में राहुल को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रेनों में चोरी के

पिछले चार वर्षों के दौरान रेल यात्रियों से पैसे ऐंठने अथवा छीनने के मामले में 73,837 किन्नरों को गिरफ्तार किया गया

2009 से 2018 के दौरान ट्रेनों में चोरी के कुल 1,71,015 मामले दर्ज किए गए

वर्ष	दर्ज मामले	वर्ष	दर्ज मामले
2018	36,584	2013	12,261
2017	33,044	2012	9,292
2016	22,106	2011	9,653
2015	19,215	2010	7,549
2014	14,301	2009	7,010

स्रोत- सूचना अधिकार कानून

ट्विट

हाल के दिनों में राजनीति का सबसे ज्यादा लाभ उठाया, वह है इंटेलिजेंस। एक और बड़ा नक्सली हमला। 15 जवान शहीद। लेकिन आराम से मौज कर रहे इंटेलिजेंस सिस्टम को पता है कि कोई उनकी विफलता पर बात नहीं करेगा और जो करेगा उसे उल्टे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अद्भुत है। विफलता में भी इनकी सफलता है।

नरेन्द्रनाथ, टिप्पणीकार
@iamnarendra

कटाक्ष/ सहीराम

काले धन से काले बक्से तक

पिछले चुनाव में मुद्दा काला धन था। जी नहीं, पंद्रह लाख की बात नहीं हो रही। पता नहीं क्यों जब भी काले धन की बात आती है लोग अपना फोन देखने लगते हैं कि बैंक से मैसेज आने में इतनी देर क्यों हो रही है? योग के मुरीद भी बाबा को तिरछी नजर से देखने लगते हैं।

खैर, पिछले चुनाव में मुद्दा काला धन था, पर उसके न आने से लोग इतने निराश हुए कि इस बार काले बक्से तक को मुद्दा बनाने तक को तैयार हो गए। एनडीए की पिछली सरकार में जब मसूद अजहर को रिहा गया था और उसे जिस विमान से कंधार भिजवाया गया था, उसमें एक बैग होने की बड़ी चर्चा रही थी कि आतंकवादियों को छोड़ने के साथ ही साथ फिरौती के पैसे भी दिए गए हैं। पर वह बैग काला नहीं था। इतने वर्षों में मसूद अजहर के आतंक फैलाने में तो कोई फर्क नहीं दिख रहा। अलबत्ता यह फर्क जरूर आया है कि विमान में जाने वाला चर्चित बैग अब चर्चित काले बक्से का रूप जरूर ले चुका है। भाई विमानों में एक ब्लैक बॉक्स तो जरूर होता है। पर उन्हें ढूंढ़ने की जरूरत हादसों के वक्त पड़ती है। भगवान न करे कि कोई विमान हादसा हो और ब्लैक बॉक्स ढूंढ़ने की जरूरत पड़े। अच्छी बात यह है कि अभी उस ब्लैक बॉक्स को कोई याद नहीं कर रहा है, फिर सब यह काले बक्से को क्यों याद करने लगे हैं? कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री के विमान में वह बक्सा क्या कर रहा था? कोई सुरक्षा का सवाल उठा रहा है। विपक्ष वाले तो चुनाव आयोग के पास ही पहुंच गए कि वह पता लगाए कि उस काले बक्से में था क्या?

अब काले बक्से में रखे जाने भर से तो पैसा काला धन हो नहीं जाता? पता नहीं लोगों को प्रधानमंत्री के विमान में काला बक्सा क्यों नहीं सुहा रहा, जबकि प्रेमिका के गाल पर लोगों को काला तिल खूब सुहाता है। वैसे तो काला धन भी लोगों को खूब सुहाता है। हो सकता है चुनाव के वक्त करोड़पति उम्मीदवार काला टीका भी लगाते हों ताकि उन्हें गरीब मतदाताओं की नजर न लगे। पर विरोधियों को प्रधानमंत्री के विमान में बस काला बक्सा ही नहीं सुहा रहा। क्यों? जब काले धागे से लेकर काला तिल और काला धन तक सब सुहा सकता है तो काले बक्से में ऐसी क्या बुराई है भाई। और अगर नहीं सुहा रहा तो भी छोड़ो न, क्यों पीछे पड़े हो।

पर्यावरण

जाहिद खान

अदालत की अनूठी पहल

राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण को बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नई कवायद शुरू की है। इसके तहत वादी-प्रतिवादियों पर हर्जाना लगाते हुए, अदालत उन्हें शहर को हरा-भरा करने का निर्देश दे रही है। जस्टिस नजमी वजीरी ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए, एक बार फिर दोषियों को जुर्माना बतौर सौ-दो सौ, हजार नहीं बल्कि 1 लाख 40 हजार पौधे लगाने का महत्त्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई के बाद, उन्होंने यह फैसला सुनाया है। पौधे, दक्षिण दिल्ली स्थित सेंट्रल रिज में लगाए जाएंगे। इस आदेश को लागू करने की जिम्मेवारी दक्षिण दिल्ली के उप वन संरक्षक की होगी।

अदालत ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह दोषी कंपनी को बताए कि ये 1.40 लाख पौधे कहां लगेंगे? साथ ही, यह भी बताए कि इन पौधों के लिए पानी कहां से आएगा? खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी ही इस्तेमाल किया जाए। कंपनी से ऐसे छोटे-छोटे बांध बनवाएं जाएं, ताकि बारिश के मौसम का इन पौधों को फायदा मिले। वन विभाग बकायदा एक एक्शन प्लान बना कर, इन पौधों की रक्षा करे। हर पेड़ पर नंबर डाला जाए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि वन विभाग की जिम्मेवारी होगी कि पौधे एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचें और जीवित रहें। यही नहीं कंपनी की जवाबदेही सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगी, बारिश का मौसम खत्म होने तक उसे इन सभी पौधों की देखभाल करनी होगी। यानी अपराधी सिर्फ पौधे लगाकर ही अपने कर्त्तव्य से बरी ना हो जाए, बड़े होने तक वह इनकी हिफाजत भी करे। तभी फैसले का मकसद पूरा होगा। यूएसए की एक कंपनी 'मेर्क शार्प एंड डोमे कॉरपोरेशन' ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चेन्नई की कंपनी नूत्रा स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड (जो अब वेंकटनारायणा एक्टिव इनग्रिडिएंटस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कारोबार

कर रही है) पर अदालत की अवमानना का इल्जाम लगाया और कहा कि उनकी एक दवा को भारत में बेचे जाने को लेकर, 5 मई 2016 को अदालत के हस्तक्षेप के बाद दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ था, लेकिन कंपनी समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रही है। बहरहाल दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी कंपनी पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह पैसा सार्वजनिक हित पर खर्च किया जाए। अदालत ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले चार साल के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। यहां तक कि स्थिति आपातकाल तक पहुंच गई है। हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी हो गया है कि राजधानी में हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए। लिहाजा जुमनि की यह रकम, हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने पर खर्च की जाए। अदालत ने इसके लिए सलाह दी कि दिल्ली में सेंट्रल रिज का क्षेत्रफल 2135 एकड़ और वन विभाग के पास 935 एकड़ क्षेत्र है, इसलिए इस रिज में पेड़ लगाकर हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जस्टिस नजमी वजीरी का यह पहला फैसला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वह अपने दीगर फैसलों में इस तरह की अनूठी पहल कर चुके हैं।

छोटे-छोटे अपराधों से लेकर अदालत की अवमानना वाले मामलों में वे इस तरह के फैसले सुनाते हैं, जिससे पर्यावरण को फायदा मिले। लोगों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता जागे। अदालत के इस तरह के फैसले, सुधारवादी फैसले कहे जाते हैं। हालांकि इस तरह के किसी दंड का प्रावधान, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है, किंतु अदालतें अपने स्वविवेक से समय-समय पर इस तरह की सजाएं सुनाती रहती हैं।

इस तरह की सजा के पीछे दलील यह होती है कि सजा का मकसद सिर्फ अपराधी को सलाखों के पीछे डालना ही नहीं, बल्कि उसके अंदर सुधार की कोशिश करना और उसे सुधरने का एक मौका प्रदान करना है; ताकि उसमें इंसानियत जागे। अपने परिवार और समाज के प्रति वह अपनी जवाबदेही समझे। जस्टिस नजमी वजीरी ने अपने सुधारवादी फैसलों से जहां अपराधियों को सुधरने का एक मौका प्रदान किया है, वहीं उन्हें ऐसी सजा मुकर्रर की है, जिससे आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली का पर्यावरण भी खुलकर सांस ले सकेगा। इस अनूठी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए।

रीडर्स मेल

कहीं तो कमी है

पिछले लोक सभा चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव में मतदान सरकार और चुनाव आयोग के कई अच्छे प्रयासों के बाद भी कम है। यही नहीं दुर्भाग्य से नोटा भी बढ़ता जा रहा है। जन मानस की इस उदासीनता, निराशा और हताशा का कारण पार्टियों और नेताओं के झूठे वादे और व्यक्तिगत घटिया आरोप और बयान ही हैं। नेताओं और पार्टियों की इस कदर गिरावट दुख और चिंता का विषय है। ऐसे में ये लोग देश की क्या सेवा, सुधार और भला कर पाएंगे सोचने की बात है। सेवा, सुधार और सादगी की बात तो प्रायः सभी करते हैं मगर असलियत किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में यह स्वाभाविक ही है।

वेद मामूरपुर, नरेला, दिल्ली

श्रमिकों का सम्मान जरूरी

'मजदूर दिवस' के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र और समाज को राष्ट्र और समाज की प्रगति, समृद्धि और खुशहाली में दिए गए श्रमिकों के योगदान को नमन करना चाहिए। देश के उत्पादन में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उच्च मानक हासिल किए गए हैं, वे हमारे श्रमिकों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। इसलिए राष्ट्र की प्रगति में अपने श्रमिकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानकर सभी देशवासियों को उसकी सराहना करनी चाहिए। इसके साथ ही मजदूर दिवस के अवसर पर देश के विकास और निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाने वाले लाखों मजदूरों के कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का सम्मान करना चाहिए।

डॉ. हेमन्त, ग्राम/पोस्ट-गोराडीह, भागलपुर

झूठी खबरों से बचना होगा

सोशल मीडिया आज फेक न्यूज का अड्डा बन चुका है। शायद हर 10 में 4 खबर तो भ्रामक या झूठी ही होती है। रोज के रोज फेक न्यूज की बहुतायत होती जा रही है। क्या सरकार की साइबर सेल के माध्यम से सोशल साइट्स पर इस तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता है, जिससे किसी भी खबर को प्रेषित करने वाले प्रथम व्यक्ति की पूरी जानकारी (जैसे मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी, उसकी लोकेशन) हर किसी तक पहुंच जाए। इस कार्रवाई के बाद फेक न्यूज फैलाने वाले को पकड़ना और उस पर कार्रवाई करना आसान होगा। देखना है यह कितना असरदार होगा?

अभिषेक मिश्र, किदवई नगर, कानपुर

स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें

यदि हम अपने लिए प्रातः कालीन ब्रह्म बेला में अपनी शारीरिक क्षमतानुसार आधे से एक घंटे का समय अपने शरीर की सेवा के लिए निकालें तो बहुत लाभ होगा। शरीर साधना का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी ने ठीक ही कहा है- जान है तो जहान है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन किया है-पहला सुख निरोग काया ! योगासनों के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य स्तर में निरंतर उन्नति होगी और शरीर को रोगग्रस्त होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह समय योगासनों के लिए समर्पित करना चाहिए। बस दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर से न केवल डॉक्टर और दवा खरीदने के भारी भरकम खर्च से आदमी बचता है, वरन दूसरे लोगों को भी खुद का शरीर स्वस्थ रखने की सीख मिलती है।

योगाचार्य रोहित काम्बोज आर्य, हरिद्वार

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक सी बी सिंह द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
समूह संपादक - मनोज तोमर। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-28, अंक 10064 — आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2018-2020 — *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी